न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 72/2019

1 बजरंगलाल उम्र 70 साल पुत्र ध्याला जात जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रजवण उर्फ रजनी पत्नी रोहिताश्व जाति मेघवाल निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 सागर पुत्र ध्याला
3 भगवाना पुत्र ध्याला
4 उम्मेद सिंह पुत्र बजरंगलाल दत्तक पुत्र रतीराम
5 महेन्द्र सिंह पुत्र मूलचन्द
समस्त जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 तहसीलदार एवं लेण्ड होल्डर उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खींवसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
8 प्रबन्धक कॉर्पोरेशन बैंक शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री
दिनांक 19.03.2019 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज. दावा उनवानी
रजवण उर्फ रजनी बनाम बजरंगलाल वगै. दावा
बाबत विभाजन मु.नं. 367/2016 ता.पेशी 13.08.209

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 1/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 367/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां एक दावा उनवानी रजवण उर्फ रजनी बनाम बजरंगलाल वगै. पेश कर जमीन हाल खसरा नम्बर 28, 60, 114, 194, 618, 631 तथा 1041 कुल खसरा नम्बर 7 रकबा कमशः 0.97 हैक्टेयर, 2.05 हैक्टेयर, 0.08 हैक्टेयर, 2.00 हैक्टेयर, 0.33 हैक्टेयर, 0.20 हैक्टेयर, 0.16 हैक्टेयर कुल रकबा 5.79 हैक्टेयर सरहद मौजा सीथल, तहसील उदयपुरवाटी में से 1.11 हैक्टेयर भूमि की खातेदार होना कथित कर विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दावा को निर्णय दिनांक 19.03.2019 के द्वारा निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया। अपीलान्ट विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2019 के विरूद्व यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में करने में कानूनी गलती की गई है। तनकी संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साबित नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादिया ने जमीन जैर बहस पर अपना भौतिक कब्जा अपनी प्लीडिंग व मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। दावा में उल्लेखित तथाकथित 1.11 हैक्टेयर हिस्से की जमीन पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भौतिक कब्जा काश्त कभी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं रहा है। कानून से कब्जे के अभाव में बंटवारा नहीं हो सकता है। कब्जा प्राप्ति का अनुतोष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से नहीं चाहा गया है। बिना मांगा अनुतोष देने का प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष कब्जे के तथ्यों को साबित करने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने किसी साक्षी को भी पेश नहीं किया है। इस प्रकार कब्जे के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दावा विचारण न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं था। विचारण न्यायालय ने दावा को बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 निर्णित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष दावा निर्णित होने के बाद विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर पेश हो चुके है। विभाजन प्रस्ताव में उल्लेखित तथ्यों से भी यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जमीन पर भौतिक कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने विभाजन प्रस्ताव में कब्जे का तथ्य गलत दर्ज किया हो, इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई एतराज भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 विचारण न्यायालय के समक्ष साबित हुई है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही मिला। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने व जवाबदेही करने का अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है। अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलांटस मंजूर फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2019 को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श–1 के अनुसार ग्राम सींथल तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 28, 60, 114, 194, 618, 631, 1041 किता 7 कुल रकबा 5.79 हैक्टेयर की खातेदारी उम्मेदसिंह दत्तक पुत्र रतीराम हिस्सा 1/4, बजरंगलाल पुत्र ध्याला हिस्सा 1.17 हैक्टेयर, सागर पुत्र ध्याला हिस्सा 0.90 हैक्टेयर, भगवानाराम पुत्र ध्याला हिस्सा 0.8950 हैक्टेयर जाति जाट, महेन्द्रसिंह पुत्र मूलचन्द हिस्सा 0.2750 हैक्टेयर, रजवण देवी पत्नी रोहिताश कुमार हिस्सा 1.11 हैक्टेयर दर हिस्सा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/4 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है तथा राज. काश्त. अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार अपने खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादिया विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज अपने हिस्से की भूमि की रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा विभाजन करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट बजरंगलाल प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार है। पत्रावली में बजरंगलाल के नाम जारी नोटिस दिनांक 06.01.2017 को दिनांक 12.01.2017 के लिए जारी किया गया है। इसकी पुश्त पर बजरंगलाल के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर है। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय में विधि अनुसार दिनांक 01.09.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में इस एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। विचारण न्यायालय में कुल 5 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी है। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.03.2019 के विरूद्ध दिनांक 26.08.2019 को धारा 5 के आवेदन के साथ मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विवादित भूमि के संदर्भ में तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष वादिया रजवण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 03/2017 अंतर्गत धारा 183 बी के संदर्भ में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2018 की प्रति वरवक्त बहस धारा 5 प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय के अनुसार भगवानाराम ने दिनांक 21.07.2009 को विवादित भूमि में से 0.28 हैक्टेयर बजरंगलाल द्वारा दिनांक 20.11.2009 को 0.28 हैक्टेयर एवं सागरमल द्वारा 19.07.2010 को 0.55 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादिया रजवण को विक्रय कर कब्जा संभलाना अंकित किया है। तहसीलदार ने विचाराधीन निर्णय से विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण भगवानाराम, बजरंगलाल, सागरमल को वादिया को विक्रित 1.11 हैक्टेयर से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.06.2025 से धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श–1 के अनुसार ग्राम सींथल तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 28, 60, 114, 194, 618, 631, 1041 किता 7 कुल रकबा 5.79 हैक्टेयर की खातेदारी उम्मेदसिंह दत्तक पुत्र रतीराम हिस्सा 1/4, बजरंगलाल पुत्र ध्यांला हिस्सा 1.17 हैक्टेयर, सागर पुत्र ध्याला हिस्सा 0.90 हैक्टेयर, भगवानाराम पुत्र ध्याला हिस्सा 0.8950 हैक्टेयर जाति जाट, महेन्द्रसिंह पुत्र मूलचन्द हिस्सा 0.2750 हैक्टेयर, रजवण देवी पत्नी रोहिताश कुमार हिस्सा 1.11 हैक्टेयर दर हिस्सा 3/4 कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है तथा राज. काश्त. अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार अपने खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादिया विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज अपने हिस्से की भूमि की रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा विभाजन करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट बजरंगलाल प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार है। पत्रावली में बजरंगलाल के नाम जारी नोटिस दिनांक 06.01.2017 को दिनांक 12.01.2017 के लिए जारी किया गया है। इसकी पुश्त पर बजरंगलाल के नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर है। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलान्ट के विरूद्ध विचारण न्यायालय में विधि अनुसार दिनांक 01.09.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में इस एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करवाने के लिए कोई कार्यवाही

II RAS
अधिकारी एवं
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं की है। विचारण न्यायालय में कुल 5 प्रतिवादीगण थे। इनमें से केवल प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी है।

विवादित भूमि के संदर्भ में तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष वादिया रजवण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 03/2017 अंतर्गत धारा 183 बी के संदर्भ में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2018 की प्रति वरवक्त बहस धारा 5 प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय के अनुसार भगवानाराम ने दिनांक 21.07.2009 को विवादित भूमि में से 0.28 हैक्टेयर बजरंगलाल द्वारा दिनांक 20.11.2009 को 0.28 हैक्टेयर एवं सागरमल द्वारा 19.07.2010 को 0.55 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादिया रजवण को विक्रय कर कब्जा संभलाना अंकित किया है। तहसीलदार ने विचाराधीन निर्णय से विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण भगवानाराम, बजरंगलाल, सागरमल को वादिया को विक्रित 1.11 हैक्टेयर से बेदखल करने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 1/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर